राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–20/म0स्वा0कार्य0/(सीधी भर्ती–2018)/2020/436   दिनांक :– 28/04/2020

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) (गैर अनुसूचित क्षेत्र) के 4965 पदों पर नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 1363 दिनांक 18.06.2018 के संदर्भ में निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/एएनएम/(सीधी भर्ती–2018) /2020/146 दिनांक 18.01.2020 को चयन सूची जारी की गई थी।

उक्त 18.01.2020 को जारी चयन सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थियों जिनके संबंध में वर्तमान में माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित नहीं है एवं किसी अन्य प्रकार का विवाद भी नहीं है, को कोरोना वायरस (Covid-19) संक्रमण को पॅन्डेमिक घोषित करने तथा इससे उत्पन्न परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में इमरजेंसी को देखते हुए पे–मेट्रिक्स L–8 में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन नियुक्त किया जाता है। Covid-19 पॅन्डेमिक के कारण माननीय न्यायालय में लम्बित प्रकरण एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर वर्तमान में कार्यवाही सम्पादित नहीं हो पाने के कारण निकट भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर शेष पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी एवं विधिवत पदस्थापन किया जायेगा।

उक्त चयनित अभ्यर्थियों को वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ 15 (1)एफडी (रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 में वर्णितानुसार दो वर्ष के प्रोबेशन काल में सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतन) नियम 2017 के नियम 16 के शिड्यूल IV के L-8 में निर्धारित नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 18500/– (अठारह हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। दो वर्ष का प्रोबेशन काल संतोषजनक पूर्ण करने पर इन्हें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद का नियमित पे–मेट्रिक्स एल–8 नियमानुसार देय होगा।

यह नियुक्ति सूची माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर व अन्य में विचाराधीन याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अध्यधीन जारी की जा रही है एवं विभिन्न निर्णयों के पालनार्थ वरीयता सूची एवं वरिष्ठता दोनों परिवर्तिनीय होगी। यह आदेश Covid-19 पॅन्डेमिक की परिस्थितियों के कारण आपातकालीन स्थितियों में जारी किया गया है एवं परिस्थितियॉ सामान्य होने पर इस आदेश में संशोधन किया जा सकेगा तथा किसी भी नियुक्त कर्मचारी को इसे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं होगा और ना ही कोई इक्विटी क्लेम की जा सकेगी।

यह आदेश निम्न शर्तो के अध्यधीन जारी किये जा रहे हैं :–

1. संलग्न सूची में वर्णित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व उल्लेखित निर्धारित शर्तो के अनुसार जिला स्तर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करवाया जावेगा।
2. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संधोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही इन्हें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की नियमित पे–मेट्रिक्स एल–8 के न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
3. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 13(1)एफडी/रूल्स/2003दिनांक 28.01.2004 के अनुसार नवनियुक्त कर्मचारियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

4. संलग्न सूची में वर्णित अभ्यर्थियों की जन्म तारीख उनके सैकेण्डरी के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि को भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा सत्यापित किया जावेगा।
5. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित) संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है)।
6. अभ्यर्थी द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिन्ट विभाग की वैबसाईट से डाउनलोड कर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष उपस्थिति देने हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। सभी अभ्यर्थी प्रथमतः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे। संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंषा के उपरान्त अभ्यर्थियों को अपने अधीन पदभार ग्रहण किये जाने के आदेश जारी होंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उनके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थियों को उनके अधीन रिक्त पदों पर पदस्थापित करेंगे। रिक्त पदों में से अति आवश्यकता वाले क्षेत्र के रिक्त पदों को Covid-19 पॅन्डेमिक के मध्यनजर प्राथमिकता के आधार पर भरा जावेगा। उसके पश्चात् यदि अभ्यर्थी शेष रहते हैं तो उन्हें अन्य रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जावेगा।
7. उक्त सभी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करते समय उक्त समिति के सम्मुख स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति व अन्य प्रमाण पत्रों की छाया प्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, को मूल ही दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने होंगे। सभी छाया प्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होंगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होगा एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होंगे।
8. विभागीय कर्मचारी अपने मूल पद से विधिवत कार्यमुक्त होकर ही नव पदस्थापन स्थान पर उपस्थित होंगें।
9. गर्भवती महिलाओं के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
10. उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अध्यधीन है।
11. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6 (19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे।
12. उक्त परिपत्र जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का नॉन–ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि से एक वर्ष पूर्व तक की अवधि का राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए। जिसमें क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टी स्पष्ट अंकित होनी चाहिए। इन वर्गों में क्रीमीलेयर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है।
14. नवचयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावेगा कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से धूम्रपान/नशा नहीं किया जावेगा।
15. अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण करते समय राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में रजिस्ट्रेशन का दिनांक 23.07.2018 को तथा कार्यग्रहण तिथि को वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16. वरिष्ठता (सीनियोरिटी) अंतिम रूप से जारी की जाने वाली वरियता सूची के अनुसार होगी। जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2018 के समस्त पदों पर भर्ती/पदस्थापन सूची जारी करने के उपरान्त जारी की जावेगी।
17. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/दस्तावेज–फर्जी/परिवर्तित/कूट रचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जायेगा। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किये जायेंगे।
18. जारी सूची में से एन.एच.एम. (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन), 108 एम्बूलेन्स सेवाऐं, एम.एम.यू–एम.एम.वी, पी.पी.पी. मोड, यू.टी.बी. आदि संविदा पर वर्तमान में कार्यरत अभ्यर्थी वर्तमान Covid-19 पॅन्डेमिक परिस्थिति के नियंत्रण में आने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक अपने कार्यस्थल पर ही कार्यरत रहेंगें एवं इन्हें अभी कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा तथा अग्रिम आदेशों के उपरान्त ही नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे।
19. ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में विभाग की किसी भी योजना में संविदा पर कार्यरत नहीं हैं, को आदेश जारी होने की दिनांक से 7 दिवस में आवंटित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके नियुक्ति आदेश स्वंतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–20/म0स्वा0कार्य0/(सीधी भर्ती–2018)/2020 / 436 दिनांक : 28/04/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
6. निदेशक (जन स्वा0/प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर।
7. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को प्रेषित कर लेख है कि इस नियुक्ति बाबत अभ्यर्थियों को आवागमन हेतु अनुमति प्रदान कराएं।
8. संबंधित संयुक्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, राजस्थान ।
9. संबंधित समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि :–

- पदस्थापित अभ्यर्थियों की ज्वाईनिंग लिये जाने हेतु जिला स्तर पर आपकी अध्यक्षता में तत्काल एक समिति का गठन किया जाकर आदेश में वर्णित बिन्दुओं के साथ–साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन/परीक्षण कर कार्यवाही उपरान्त अभ्यर्थियों को उनके पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कराएं। **साथ ही एन.एच.एम. (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन), 108 एम्बूलेन्स सेवाऐं, एम.एम.यू–एम.एम.वी, पी.पी.पी. मोड, यू.टी.बी.आदि संविदा पर वर्तमान में कार्यरत अभ्यर्थी Covid-19 पॅन्डेमिक परिस्थिति के नियंत्रण में आने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यरत रहेंगे एवं अग्रिम आदेशों**

के उपरान्त ही नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे। अतः इन्हें अभी कार्यमुक्त नहीं किया जाए।

- **आरक्षण का लाभः**– जिस जाति वर्ग में आरक्षण के आधार पर चयन हुआ है, उस जाति का प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा **अभ्यर्थी के पिता के नाम से जारी किया हुआ ही मान्य होगा**। पति एवं पिता दोनों के संयुक्त नाम से जारी अथवा पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। यदि पिता के नाम से राजस्थान राज्य का जारी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो पिता के नाम से राजस्थान राज्य का जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसमें जाति का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य है।

I. **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL)/अति पिछड़ा वर्ग (MBC)** के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये एवं इसे अधिकतम तीन वर्ष तक पुराना प्रमाण पत्र होने पर नॉन–क्रीमिलियर होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर नॉन–क्रीमिलियर का माना जा सकता है।

II. **विधवा वर्ग**:–विधवा वर्ग में चयनित अभ्यर्थिया ज्वाईनिंग प्रस्तुत करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं मृतक से अभ्यर्थिया का विवाह होने संबंधित प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई प्रमाण पत्र जिससे अभ्यर्थिया एवं मृतक के पति–पत्नि होने की दस्तावेजों से पुष्टि होती हो, प्रस्तुत करे। किन्तु पति की मृत्यु तिथि अभ्यर्थिया के ऑनलाईन आवेदन की तिथि से पूर्व की होनी चाहिये (ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23.07.2018)।

विधवा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियाओं से मृतक की पत्नी होने से संबंधित प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्राप्त किया जावें, जैसे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/अभ्यर्थिया द्वारा नोटेरी पब्लिक/प्राधिकृत अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित शपथ पत्र।

III. **परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह)**:–परित्यक्ता संवर्ग में चयनित अभ्यर्थिया को विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र अर्थात सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की जांच के आधार पर ही उपस्थिति ली जावे, सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन की तिथि से पूर्व की होनी चाहिये। इस संवर्ग में माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री/सक्षम न्यायालय द्वारा जारी आदेश की सत्यापित प्रति के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं है (ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23.07.2018)।

IV. **दिव्यांग (PH)**:–सूची में दर्शाये होने पर इस वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों के 40% या इससे अधिक One Leg Locomotor (OL) Disability होने पर ही विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों की ही उपस्थिति ली जावें। अन्य Disability मान्य नहीं है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा इस वर्ग में आवेदन किया है एवं वरीयतानुसार उनका चयन हुआ है, उनका मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करवाया गया है एवं इन्हें चयन सूची में दिव्यांग श्रेणी में दर्शाया गया है तथा जिन अभ्यर्थियों द्वारा PH वर्ग में आवेदन नहीं किया गया है और चयन भी सामान्य श्रेणी में ही हुआ है, उनके ज्वाईनिंग के समय यदि अभ्यर्थी किसी भी रूप में आपके अनुसार दिव्यांग (PH) पाया जाता है तो उसकी ज्वाईनिंग न लेकर उसके संबंध में निदेशालय को अवगत करावें।

अतः यदि कोई अभ्यर्थी सूची के अतिरिक्त संदिग्ध दिव्यांग श्रेणी का हो तो उसका एस.एम.एस. हॉस्पिटल में MEDICAL BOARD से जांच कराने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही कराई जावे।

- **योग्यताः**– महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता विज्ञप्ति के क्रमशः बिन्दु संख्या 5 के अनुसार है। अभ्यर्थी द्वारा 10 वीं जिस शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण की गई है यदि वह बोर्ड मान्यता प्राप्त नहीं पाया जावे तो ज्वाईनिंग नहीं करावें। यदि चयन सूची में दिये गये प्राप्तांको से भिन्न प्राप्तांक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मार्कशीट में पाये जायें तो ज्वाईन नहीं कराएं किन्तु यह हरियाणा, पंजाब, NIOS बोर्ड से सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर लागू नहीं है। उपरोक्तानुसार अंकित शैक्षणिक योग्यता के संबंध में अभ्यर्थी ने जिस बोर्ड से उत्तीर्ण किया, वह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। राजस्थान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्डो की सूची माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की वैबसाइट पर उपलब्ध है।

व्यावसायिक योग्यता के लिये अभ्यर्थी का राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर में आवेदन किये जाने की तिथि एवं नियुक्ति पर उपस्थिति की दिनांक को भी पंजीयन होना आवश्यक है।

- **आयु सीमा**:– इस संबंध में जारी विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार जांच की जावे।
- **अनुभव के आधार पर बोनस अंकः**–अभ्यर्थी के चयन सूची में दिये गये बोनस अंकों की जांच अनुभव प्रमाण पत्रों से की जावे। **प्रत्येक 365 दिन के कार्यानुभव** पर 10 बोनस अंक देय है (अधिकतम 30)। अनुभव प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ ही मान्य होगा। बोनस अंक समान पद व कार्य का अनुभव होने पर ही देय हैं। अन्य पदों का बोनस देय नहीं है। बोनस केवल राजस्थान राज्य में विज्ञप्ति में निर्देशित संस्थान जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधीन हैं, का ही देय है। बाहरी राज्यों व अन्य विभागों के अनुभव पर बोनस देय नहीं है।
- **संतान संबंधी शपथ पत्र**:– अभ्यर्थी से 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक जीवित संतान नहीं होने का शपथ पत्र लिया जावे। इस संबंध में विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 11 में उल्लेखित विवरण की पालना सुनिश्चित की जावे। शपथ पत्र में प्रत्येक जीवित संतान की जन्म तिथि का उल्लेख होना चाहिये।
- विभाग में पूर्व में भी उक्त पदों की भर्तियॉ की जाती रही हैं, उस समय भी ज्वाईनिंग के समय जो सामान्य प्रकिया अपनाई जाती रही है, उनका भी ध्यान रखते हुये ज्वाईनिंग प्रकिया सुनिश्चित कराएं।
- यदि आपको अभ्यर्थी के चयन में किसी भी स्तर पर कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो उस संबंध में तत्काल निदेशालय को अवगत कराए।
- चयन सूची में दिये डेटा एवं उपस्थिति के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में उल्लेखित जानकारी अथवा डेटा में भिन्नता पाई जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थी की उपस्थिति नहीं ली जावे एवं वस्तुस्थिति से तत्काल अवगत कराएं। उपस्थिति देने वाले अभ्यर्थियों की सूचना संलग्न प्रपत्र में भिजवायें।

10.अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/दस्तावेज–फर्जी/परिवर्तित/कूट रचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जाऐगा। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किये जावें। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूट रचित पाये जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

11.दिव्यांग श्रेणी, विधवा एवं तलाकशुदा वर्ग, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पी.पी.पी.मोड का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों आदि का पदस्थापन अभी नहीं किया गया है। किन्तु सभी वर्गो के संबंध में सामान्य दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं जिनकी पालना निकट भविष्य में शेष पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये की जानी होगी।

12.प्रभारी सर्वर रुम को प्रेषित कर लेख है कि आदेश के साथ संलग्न पदस्थापन सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

13.आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

शपथ–पत्र

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री...
............निवासी...
....शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ :–

1. कि, 1 जून 2002 से पूर्व मेरे जीवित बच्चों की संख्या.........है एवं 1 जून 2002 के पश्चात् मेरे जीवित बच्चों की संख्या........है। दिनांक 1 जून 2002 के पश्चात् दूसरा बच्चा जुडवॉं है/नहीं है।

क0सं0	संतान का नाम	जन्मतिथि
1		
2		
3		
4		

2. कि, मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं है, न ही ऐसे किसी प्रकरण में मैं वांछित हूँ और न ही मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्व किया गया है।
3. कि, (विवाहित होने की स्थिति में) मेरे अथवा मेरे परिजन द्वारा किसी भी रूप में न तो दहेज लिया गया है न दिया गया है,

अथवा

1. (अविवाहित होने की स्थिति में) मेरे अथवा मेरे परिजन द्वारा किसी भी रूप में न तो दहेज स्वीकार किया जायेगा न दिया जायेगा,
2. कि, मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त मूल दस्तावेज पूर्णतः सही है एवं इन्हें किसी भी प्रकार से कूटरचित नहीं किया गया है।

दिनांक हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री...शपथ लेता हूँ/लेती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन पूर्णतः सत्य है और इसमें कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। यदि उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य पाया जाता है तो मेरी इस भर्ती हेतु पात्रता समाप्त कर मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही का चिकित्सा विभाग/नियोक्ता को पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक हस्ताक्षर शपथग्रहिता

नाम –

पता –

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाईनिंग से संबंधित सूचना हेतु प्रपत्र

1	आईडी नंबर	
2	अभ्यर्थी का नाम	
3	पिता का नाम	
4	जाति वर्ग (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर) (जाति प्रमाण पत्र केवल पिता के नाम से जारी ही मान्य है। पति या पति व पिता दोनो के संयुक्त नाम से जारी मान्य नहीं है)	(सामान्य/ओबीसी/एमबीसी/अनु. जाती/ जनजाती/सहरिया)
5	जन्म दिनांक (सैकेण्डरी अंकतालिका के अनुसार)	
6	आयु (विज्ञप्ति दिनांक 18.06.2018 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार आयु की गणना की जायेगी नियमानुसार छूट लागू है।)	
7	सैकण्डरी पास बोर्ड का नाम	
8	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से बोर्ड मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं ? (राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार, जो बोर्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध है)	
9	चयन सूची के अुनसार सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्तांक	
10	आपके द्वारा जांच के अनुसार सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्तांक	
11	एएनएम उत्तीर्ण माह/वर्ष (23.07.2018 से बाद का होने पर ज्वाईनिंग नहीं करावें)	
12	चयन सूची में एएनएम के कोर्स में प्राप्तांक	
13	आपके द्वारा जांच के अनुसार एएनएम के कोर्स में प्राप्तांक	
14	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन	क्रमांक... दिनांक... कब तक वैद्य..
15	अभ्यर्थी द्वारा ज्वाईनिंग के समय राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन	क्रमांक... दिनांक... कब तक वैद्य..
16	विशेष योग्यजन (पीएच) श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के संबंध में	श्रेणी ओएल है अथवा नहीं............ अन्य कोई श्रेणी का है तो लिखे ....
17	iv. विधवा श्रेणी में पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र के आधार पर मृत्यु दिनांक v. मृतक की पत्नी होने का प्रमाण पत्र vi. पुनर्विवाह नही किये जाने का शपथ पत्र	iv. v. vi.
18	परित्यकता श्रेणी में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री/निर्णय की दिनांक	
19	यदि अनुभव है तो किस पद का है ? (केवल समान कार्य का अनुभव मान्य है। अतः यदि पद एएनएम का नहीं है तो सूचित करावें)	
20	अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में है अथवा नहीं ?केवल 23.06.2018 तक का अनुभव गणना योग्य है। अन्य राज्यो ,अन्य विभागो,अन्य पदो का अनुभव बोनस हेतु मान्य नही है।	
21	निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापित है अथवा नहीं ? अनुभव अवधि का सत्यापन आपको पूर्व में दिये गये प्रशिक्षण व फार्मेट के आधार पर करना है। (विभाग द्वारा प्रेषित फार्म में अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन किया गया नहीं हो तो सत्यापन हेतु संबंधित को भिजवायें एवं सूचित करे)	
22	सत्यापन के आधार पर देय बोनस अंक	
23	चयन सूची में अंकित बोनस अंकों में अंतर है ? अथवा नही ? यदि है जो अंकित करे।	
24	दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् बच्चों की संख्या (यदि दो से अधिक बच्चे है तो चयन के लिये पात्र नहीं है। बच्चों की जन्मतिथि अंकित करें।)	

दिनांक :–

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील